

पत्रांक: CCE/P&amp;C/ISDC/2019/736

दिनांक: 25 April, 2019

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय (समस्त),

राजस्थान।

विषय: राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये Summer Camp Programme- 2019 'कौशल उन्नयन' में Entrepreneurship/ Skill based Capacity building हेतु दिनांक 03 जून से 30 जून 2019 तक निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाने बाबत।

अत्यावश्यक

समरकैम्प कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुख कौशल दक्षता विकास एवं अभिवृद्धि अपेक्षित है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों को उनमें विशिष्ट कौशल के प्रति जागरूक करते हैं, वरन् उनको स्वयं को जानने का अवसर भी प्रदान करते हैं जिससे वे समाज के लिये उपयोगी बन सकें। साथ ही, इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से युवा वर्ग में आत्मविश्वास बढ़ने तथा उनके ज्ञान में भी अभिवृद्धि भी अपेक्षित है। विश्वास है कि यह समरकैम्प कार्यक्रम भी विद्यार्थियों में रोजगार क्षमता एवं दक्षता कौशल में वृद्धि करने में सहायक होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों को कौशल युक्त शिक्षा एवं अवसर प्रदान करने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का गुणात्मक विकास एवं उनको रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में भी सहायक होगा।

अतः गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये Summer Camp Programme-2019 'कौशल उन्नयन' में Entrepreneurship/ Skill based Capacity building हेतु दिनांक 03 जून से 30 जून 2019 तक (चार सप्ताह) की अवधि के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाना है, ताकि इच्छुक विद्यार्थियों में क्षमता विकास हो सके।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सभी राजकीय महाविद्यालय निम्नांकित अनुशंसित 15 कौशल क्षेत्रों में से विद्यार्थी अभिरुचि एवं महाविद्यालय की सुविधानुसार अधिकतम 03 कौशल विकास कार्यक्रमों का चयन कर उक्त निर्देशित अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें। परन्तु, विद्यार्थियों की मांग एवं महाविद्यालय की सुविधा हो तो, इस अधिकतम संख्या में अभिवृद्धि महाविद्यालय स्तर पर की जा सकती है।

1. Language Skills (English language for Communication Skills)
2. Soft skills (Communication skills, personality development, team work etc.)
3. Stress and time management
4. Photography & Videography
5. Basic Knowledge Of Computers
6. Yoga & Meditation
7. Self defense
8. Food Preservation/ Bakery/Confectionary related skills
9. Organic Farming / Gardening/ Krishi Jankar/ Green-House Based Farming
10. Beauty And Wellness
11. Handicrafts
12. Sports- cricket, chess, badminton, football, archery etc.
13. Electronic media and mass communication/ Script writing
14. Receptionist and front / Back office;
15. Any other skill related to local employability/ entrepreneurship scope

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि -

- I. इन प्रशिक्षण कक्षाओं का संचालन दिनांक 03 -30 जून की अवधि (चार सप्ताह) में ही किया जाना है। जिनका समय प्रति दिन 04 घण्टे रहेगा एवं यह समय ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए स्थानीय स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है।
- II. खेल एवं क्रीडा प्रशिक्षण को छोड़कर शेष सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रथम सप्ताह में आवश्यक रूप से कम्प्यूटर और अंग्रेजी भाषा की दो- दो घंटे की कक्षाएं आयोजित करवाई जायेंगी। तत्पश्चात, अधिशेष 03 सप्ताह में चयनित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की कक्षाएं आयोजित करवाई जायेंगी। इसके लिये यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा कौशल हेतु प्रवेश लेता है, तो उसके लिये अधिशेष 03 सप्ताह में भाषा दक्षता यथा अंग्रेजी भाषा में सामान्य संवाद, साक्षात्कार, व्यक्तित्व विकास केन्द्रित प्रशिक्षण करवाया जाना है।
- III. इन कार्यक्रमों के लिये यथा सम्भव महाविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्यों की सेवाएं ली जानी है। तथापि, सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये रिसोर्स पर्सन्स की आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर महाविद्यालय द्वारा विकास समिति मद से व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- IV. चयनित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये रिसोर्स पर्सन्स उपलब्ध नहीं हो पाने की दशा में समय रहते आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान को सूचित किये जाने की स्थिति में Rajasthan Skill & Livelihood Development Corporation (RSLDC) के द्वारा विभिन्न परियोजनान्तर्गत सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सीज की सहायता के लिये RSLDC को अनुरोध किया जा सकेगा, परन्तु इस प्रयोजनार्थ सेवा प्रदाता एजेन्सी को देय निर्धारित राशि, प्रयोगशाला सुविधा आदि पर होने वाला व्यय संबंधित महाविद्यालय को वहन करना होगा। अतः प्राथमिकता ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करावे जिनकी विद्यार्थियों द्वारा मांग भी हो तथा महाविद्यालय स्तर पर जिन्हें सुविधामय आरम्भ करवाया जा सके।
- V. प्रयास रहे कि किसी भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बैच में 50 से अधिक विद्यार्थी नहीं हों। आवश्यकता होने पर दूसरा बैच प्रारम्भ किया जा सकता है। परन्तु, किसी भी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम बैच में न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का पंजीकरण होना आवश्यक है, तभी किसी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- VI. यह कार्यक्रम महाविद्यालय में नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से संचालित करवाया जाना है, तथापि, संचालन में सहायता हेतु महाविद्यालय में ग्रीष्मावकाश अवधि में रोके गये संकाय सदस्यों में से 2/3 संकाय सदस्यों की एक समिति गठित करें।
- VII. इस प्रयोजनार्थ प्राथमिकता में यथा संभव संबंधित महाविद्यालयों में कार्यरत संकाय सदस्यों की सेवाएं ली जानी है, तथा उन्हें इसके लिये ग्रीष्मावकाश अवधि में दी गई सेवा के लिये उनके कार्यदिवसों की गणनानुसार नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ देय होगा। परन्तु, यह लाभ तभी देया होगा जबकि जो संकाय सदस्य जिस महाविद्यालय में पदस्थापित है, और वो वहीं ग्रीष्मावकाश में इस परियोजना में सेवाएं देने हेतु निर्देशित किया गया है। किसी दूसरे महाविद्यालय में जाकर इस प्रयोजनार्थ दी गयी सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का उपार्जित अवकाश देय नहीं होगा।
- VIII. इस प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने पर पाठ्य-सामग्री एवं फोटोकॉपी आदि की व्यवस्था का व्यय नियमानुसार छात्रनिधि कोष/ विकास समिति से करावे।
- IX. प्रशिक्षण के अन्त में Summer Camp Programme के सभी प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन करवाकर उन्हें प्राचार्य के स्तर से एक प्रमाण पत्र प्रदान करें, जिस पर प्राचार्य एवं कार्यक्रम प्रभारी हस्ताक्षर करेंगे। यथा संभव इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थियों में गुणात्मक प्रतिस्पर्धा क्षमता विकास हेतु प्रतियोगिता भी आयोजित करावे जिसके माध्यम से संबंधित कौशल क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी को चयनित/चिन्हित करें।

- X. सभी राजकीय महाविद्यालयों द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने हैं तथा इसकी पूर्व सूचना, जिसमें महाविद्यालय द्वारा चयनित कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र एवं महाविद्यालय द्वारा गठित समिति के समन्वयक एवं सदस्यों की सूचना- उनके नाम, विषय, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. सहित आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर को नवाचार प्रकोष्ठ की ई-मेल [innovation.cceraj@gmail.com](mailto:innovation.cceraj@gmail.com) पर दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- XI. उपर्युक्त सूचना के अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा चयनित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिये महाविद्यालय द्वारा किये गये प्रयासों, यथा- स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशन, महाविद्यालय सूचना पट्टों पर सूचना/नोटिस डिस्प्ले करवाना तथा महाविद्यालय में विद्यार्थियों की जागरूकता के लिये कार्यशालाएं आयोजित करवाने आदि, की सूचना भी समय समय पर आयुक्तालय को उक्त ई-मेल आई.डी. पर भिजवायें।
- XII. महाविद्यालय द्वारा चयनित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश की सूचना का समाचार सूचनार्थ प्रकाशित करावें तथा अन्तिम तिथि दिनांक 13 मई 2019 तक इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश कार्य सम्पन्न करते हुए प्रवेशित विद्यार्थियों की सूचना संलग्न प्रारूप में आवश्यक रूप से आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर को नवाचार प्रकोष्ठ की ई-मेल [innovation.cceraj@gmail.com](mailto:innovation.cceraj@gmail.com) पर दिनांक 15 मई 2019 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- XIII. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये विद्यार्थियों से फीडबैक प्राप्त करवाना है। फीडबैक लिखित एवं वीडियोग्राफी दोनों रूपों में कार्यक्रम प्रारम्भ के समय, कार्यक्रम प्रारम्भ होने के दो सप्ताह बाद एवं कार्यक्रम के अन्त में अर्थात् कुल 03 बार लिया जाना सुनिश्चित करवाना है ताकि विद्यार्थियों की अभिरुचि, कार्यक्रम के प्रति उनका उत्साह एवं प्रगति परिलक्षित हो सके।
- XIV. कार्यक्रम समाप्ति पर एक रिपोर्ट तैयार करवाकर आयुक्तालय को हार्ड कॉपी में प्रेषित करवानी है।

इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी हेतु आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर में नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ में अधिकारी डा. राखी यादव से मोबाइल नम्बर 9929736681 पर कार्यालय समय में सम्पर्क करें।


प्रदीप कुमार बोरड़, IAS  
आयुक्त, कालेज शिक्षा, एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार

पत्रांक: CCE/P&C/ISDC/12019/737-38; दिनांक: 25 April, 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च, शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक HRD/ Admn./ Acad./PI/RUSA/P&C, आकाशि, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

  
Principal  
Swami Vivekanand Government College  
Khetri, Distt. - Jhunjhunu) Raj.

  
डा. विनोद कुमार भारद्वाज  
प्रभारी अधिकारी, नवाचार प्रकोष्ठ, आकाशि,

Summer Camp 2019 'कौशल उन्नयन'

Registration Form


1. विद्यार्थी का नाम : .....
2. पिता का नाम : .....
3. महाविद्यालय का नाम : .....
4. कक्षा एवं संकाय : .....
5. निवास का पता : .....
6. मोबाइल नम्बर : .....
7. ई-मेल : .....
8. कौशल.पाठ्यक्रम का वरीयता क्रम :
  1. ....
  2. ....
  3. ....
9. अभिरुचि क्षेत्र : .....
10. कौशल प्रशिक्षण उपरान्त अपेक्षाएं : .....

हस्ताक्षर आवेदक विद्यार्थी

दिनांक: .....

हस्ताक्षर कार्यक्रम समन्वयक

दिनांक: .....

  
Principal  
Swami Vivekanand Government College  
Khetri, Distt.- Jhunjhunu) Raj.